न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 09/2023
अशोक पुत्र लालूराम जाति बैरवा निवासी गणेशपुरा तहसील भांडारेज जिला दौसा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश उप तहसीलदार भाण्डारेज दिनांक 03.01.2023 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम अशोक दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मुकदमा नंबर 252/2022

उपस्थित : 1. श्री गोपाल लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, भाण्डारेज ने दिनाक 03.01.2023 को ग्राम गणेशपुरा तहसील भाण्डारेज के आ0ख0न0 104 रकबा 0.025है. किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का ने एक बिलकुल असत्य रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि खसरा नंबर 104 वाके गणेशपुरा चरागाह रकबा 0.25 है0 मौके पर चारदीवारी बनाकर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण कर लिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भांडारेज के यहां प्रकरण दर्ज किया गया व 13.12.2022 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व जवाब को समय चाहा, जिस पर तारीख पेशी 21.12.2022 नियत की गई। दिनांक 21.12.2022 को गैर सायल की ओर से गोपाललाल शर्मा द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया जिस पर 03.01.2023 को तारीख निश्चित की गई। दिनांक 03.01.2023 को गैर सायल अशोक अचानक तबीयत खराब होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही उसके वकील भी दीगर न्यायालय मे पैरवी में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नही हुये तथा अधिनस्थ न्यायालय ने गैर सायल को अनुपस्थित बताते हुए एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने व 6 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये उक्त निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं हुई तथा तहसीलदार द्वारा सिविल न्यायाधीश दौसा की न्यायालय में निर्णय की प्रति व अन्य कागजात पेश किये तब प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी हुई दिनांक 19.05.2023 को सिविल न्यायाधीश के यहां विचाराधीन प्रकरण में से नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 26.05.2023 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश उप तहसीलदार खिलाफ कानून उचित नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि मौके पर जिस भूमि पर पूर्व से ही अपीलान्ट के पूर्वज लालूराम द्वारा अपने पट्टेशुदा भूमि पर ही चारदीवारी का निर्माण कराया था तथा विकास अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

द्वारा सन् 1974 में विधिवत रूप से अपीलान्ट के पिता लालूराम को पट्टा जारी किया है। इससे स्पष्ट है कि मौके पर अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपने पिता के पट्टेशुदा भूमि पर ही उसके पिता द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया था इसलिए नये निर्माण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित जवाब व सबूत का मौका ही नहीं दिया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत अनुसार पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही निर्णय करना चाहिए इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट कुनिन्दा पटवारी हल्का के बयान तक दर्ज नहीं किये न ही पटवारी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्शित भी नहीं हुई है इसलिए बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रह योग्य नहीं थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक होने के कारण प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। यहां भी यह भी स्पष्ट करना उचित है कि अपीलान्ट व लालूराम के अन्य वारिसान द्वारा उक्त पटटेशुदा भूमि के संबंध में एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सिविल न्यायाधीश दौसा के न्यायालय में पहले से ही प्रस्तुत कर रखा है तथा वाद भी विचाराधीन है तथा माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा स्टे जारी कर रखा है जो आज दिन तक प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में तहसीलदार भांडारेज व अन्य सरकारी अधिकारी भी पक्षकार है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकरण में तहसीलदार या उप तहसीलदार पक्षकार है तो उसे उसी भूमि के संबंध में निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भी उक्त निर्णय अवैधानिक व मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट का ग्राम गणेशपुरा में एक प्लॉट नंबर 07 स्थित है जिसकी पैमाईश 10 गुणा 15 कुल 150 वर्गगज है। उक्त भूखंड को अपीलांट के पूर्वज लालू पुत्र नारायण बैरवा निवासी गणेशपुरा को विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा के द्वार। द्वारा दिनांक 28.12.1974 को विधिवत रूप से निःशुल्क आवासीय पट्टा जारी किया गया था। अपीलांट ने कोई राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने माननीय ग्राम न्यायालय दौसा में एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सं0 18/2022 प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2023 को निर्णय पारित कर प्रतिवादीगण को वादीगण के विवादित पट्टेशुदा भूखंड पर बने किसी निर्माण को नष्ट करने, वादीगण को जबरन बेदखल करने व उसके विवादित भूांड के संबंध में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने से प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भांडारेज दिनांक 03.01.2023 निरस्त फरमाते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की जावे कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का सूरजपुरा द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच [illegible] न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को [illegible] भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हुआ है। [illegible] रिपोर्ट में संवत 2079 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 0.025है. [illegible] चारदीवारी बनाकर निर्माण कार्य किया है। पटवारी रिपोर्ट की कैफियत में नया निर्माण होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 104 पर नया अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

गणेशपुरा के खसरा नंबर 104 किस्म चरागाह भूमि पर विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा को चरागाह भूमि पर पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का सूरजपुरा द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक सूरजपुरा से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में ग्राम गणेशपुरा के राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 104 के रकबा 0.025है. पर चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण करना अंकित है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट की कैफियत में नया निर्माण होना अंकित किया है। पत्रावली में संलग्न पट्टा जो कि विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा द्वारा अपीलांट के पिता लालूराम के नाम हजारी किया गया है, का अवलोकन किया गया। अपीलांट के पिता को विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा द्वारा जारी पट्टा खसरा नंबर 104 में दिया जाना प्रमाणित नहीं होता है। साथ ही उक्त पट्टा जिसे प्रस्तुत किया गया है वह " आबादी भूमि" का विक्रय विलेख से संबंधित है। जिस खसरा नंबर पर धारा 91 की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की गई है वह राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि है ना कि आबादी भूमि। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन कर आबादी हेतु सैट अपार्ट किया गया हो। अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य समझते है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा पारित अपीलाधन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 3 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:45:16 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा